प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद- शाहजहाँपुर दिनांक 16.06.25

"थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 800/24 धारा 191(2) /191(3)/190/61(2) /103(1)/49 /54/352/351(3) बी.एन.एस. में काफी समय से फरार चल रहे 50,000/- रूपये के ईनामिया अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में की गयी चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों पर कडी कार्यवाही के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही।

संक्षिप्त विवरण - :

आज दिनांक 16.06.2025 को थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 800/24 धारा 191(2) /191(3)/190/61(2) /103(1)/49 /54/352/351(3) बी.एन.एस में फरार चल रहे 50,000 रूपये के ईनामिया अभियुक्त शेखर मौर्य उर्फ अभिषेक मौर्य पुत्र रामकिशोर मौर्य निवासी मोहल्ला सिंजई थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की वारन्ट अन्तर्गत धारा 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्राप्त कर आदेश के अनुपालन में थाना सदर बाजार पर टीम गठित कर अभियुक्त शेखर मौर्या उपरोक्त की चल सम्पत्ति अलमारी गोदरेज,बेड,कूलर,टीवी, कपडे,गैस चूल्हा व सिलेण्डर,रजाई गद्दे,चारपाई,पंखा,व समस्त घरेलू बर्तन,व अन्य घरेलू सामान इत्यादि घर में मिले समस्त 54 अदद सामान को नियमानुसार कब्जे पुलिस में लेकर समस्त सामान को थाने पर लाकर दाखिल कर कुर्की की कार्यवाही सम्पादित की गयी। जिसकी नियमानुसार सीजर की कार्यवाही की गयी।

सम्बन्धित अभियुक्त :-

शेखर मौर्य उर्फ अभिषेक मौर्य पुत्र रामकिशोर मौर्य निवासी मोहल्ला सिजई थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

सम्बन्धित अभियोग :-

मु0अ0सं0 800/24 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2) /103(1)/49 /54/352/351(3) बी.एन.एस.

कार्यवाही करने वाली टीम:-

थाना सदर बाजार पुलिस टीम